

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

79/2018
15.11.2018

सुल्तान पुत्र प्रहलाद जाति कीर निवासी चौकडी तहसील व जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला— टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
निर्णय तहसीलदार टोंक प्रकरण संख्या 22/2018 दिनांक 05.09.2018

उपस्थिति : (1) श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 23.05.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2018 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2309 रकबा 1 बीघा, किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर फसल काश्त करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 65/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में आंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। निर्णय एक पक्षीय है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवायी गई है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा



जिला कलेक्टर
टोंक

दिनांक को रिपोर्ट तैयार की गई का भी अंकन रिपोर्ट में नहीं है। अपीलान्त द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2309 रकबा 1 बीघा,किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर फसल काश्त करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है, किन्तु अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 560/2017 निर्णय दिनांक 09.01.2018 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त के भाई की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2309 रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 560/2017 निर्णय दिनांक 09.01.2018 से भूमि से बेदखल किया गया है। तहसीलदार टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 1346 दिनांक 11.09.2020 से अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 2309 कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मण्डावर मौके पर सम्पूर्ण पडत है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पर अपीलान्त का कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 05.09.2018 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्त पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक